

FROM No.III



फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत..... सहायक कलक्टर (SDO)..... मुकाम.....

बायतु

..... बनाम
उगराराम वीठरराम वर्गेश

किस्म मुकदमा..... नं..... सन्.....
110 माईडन 04/19 सन् 2019

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
02/01/19	प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>रिणाराम सिंघाण</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111/123 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पॉण्डेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली चास्ते जवाब दिनांक 06/02/19 को पेश हो।  सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
06/02/19	प्रार्थी वकील उपरिधत/विधायक/विधायिका के नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी मिजकमे गए रजिस्ट्री एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई इन्तजार् टोट पत्रावली दिनांक 26/02/19 को पेश हो। 	
26/2/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय रक्षकारान उपरिधत। पीठासीन अधि. कारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। भिसल इल्लतया होकर दिनांक..... को पेश हो। 02/18/19	

18/03/19

पार्थी वहील उपस्थित। अज्ञातगिणों के नोटिस
बुक में जरिये रजिस्टर्ड एडी मिजवाथे गये जिन्हो
1 माह से अधिक का समय व्यतीत हो चुका
है जिन्ही और से कोई अधिवक्ता या ए-वथं
कोई उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा अज्ञातगिण प्रभु
उपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एडवोकेट डायवाडी
कमल में लाइ जाली है। अतः पालना बहाल पभावली
दिनांक 10/04/19 को पैरा है।

10/04/19

पार्थी वहील उपस्थित। अज्ञातगिण अनुपस्थित।
पार्थी के अधिवक्ता की एडवोकेट बहाल हुनी गई
पार्थी के अधिवक्ता ने बालाया श्री पार्थी को अपने
प्यालेटरी चैत के चारों ओर पक्के नेष्म ए-वथिपित
करवाना का प्रयत्न है इसलिए पार्थी का नेष्मबन्दी मोड
उन स्वीकार हीमा जाडर नेष्मबन्दी का सेवा हीमा जाव।
अतः पार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर
पार्थी का नेष्मबन्दी कावेडन स्वीकार हीमा जाडर
तदहीलाए बायडु को डीमिशन निधुन्त हीमा जाव
है व को सेवा दिमा जाव है कि आय स्वयं या अपने
अधिनस्थ हीली भी मूठ अमित्येव निरिस्त से पार्थी
के प्यालेटरी चैत श्री पक्की नेष्मबन्दी मोड पर
एडवोकेट जमाडराडर हरे पालना रिपोर्ट प्राल होने पर
शामिल पभावली है, पभावली कमल कुमार है, दर्ज
नम्बर से डम है, दाखिल दफ्तर है।
10-4-2019

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

कमांक / वाद / 2019 / 05

दिनांक : 10/4/19

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1. उगराराम पुत्र पुंजाराम
निवासी कपूरड़ी हाल चौखला
तहसील बायतु जिला बाड़मेर


1. पोकरराम पुत्र मुकनाराम
वगैरा 07 निवासी चौखला
तहसील बायतु जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 04/2019

आदेश

मौजा चौखला पटवार हल्का चौखला के खेत खसरा नम्बर 429/228 रकबा 12.00 बीघा, की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भूअ.निरीक्षक से प्रार्थीगण के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना गिड़ा/बायतु/नागाणा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।



(अनिल कुमार पुनिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक : 10/4/19

कमांक : वाद / 2019 / 06 + 90

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
 2. पटवारी हल्का चौखला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड 'उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।'
 3. प्रार्थीगण श्री उगराराम वगैरा।
 4. विप्रार्थीगण श्री पोकरराम वगैरा 07।
- थानाधिकारी पुलिस थाना, गिड़ा/बायतु/नागाणा।




उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु